परिपत्र संख्या-स0द0/25-क/2021-22-कार्यात्मक लक्ष्य/कम्प्यूटर परि0सं0-2122008 / 52 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(सचलदल अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 23 अप्रैल, 2021

समस्त

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि0अनु0शा0),

ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक/वि0अनु0शा0),

डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेन्ट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी,

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय:- वैश्विक महामारी कोविड-19 के दृष्टिगत निर्धारित कार्यात्मक लक्ष्यों के शिथिलीकरण के सम्बंध में।

मुख्यालय द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों से खण्ड एवं प्रवर्तन कार्यालयों में तैनात अधिकारियों का मासिक कार्यात्मक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्तमान में वैश्विक महामारी कोविड-19 की दूसरी लहर से उत्पन्न विषम परिस्थितियों के कारण निर्धारित कार्यात्मक लक्ष्यों को अग्रिम आदेशों तक निम्न प्रकार शिथिल किया जाता है:-

2- परिपत्र सं0 1920049 दिनॉक 26-08-2019 एवं 2021032 दिनॉक 03-12-2020 से सचल दल इकाईयों हेतु निर्धारित मासिक कार्यात्मक लक्ष्यों को स्थगित करते हुए जी.एस.टी., ई.वेबिल एवं कामटैक्सयूपी पोर्टल पर उपलब्ध डाटा से आसूचना आधारित (Intelligence based) प्रवर्तन कार्य पूर्ण सजगता एवं सावधानी से किये जाने के निर्देश दिये जाते हैं।

3- परिपत्र संख्या 2021015 दिनॉक 10-09-2020 के बिन्दु संख्या-3 में वि0अनु0शा0 इकाईयों हेतु निर्धारित कार्यात्मक लक्ष्य को स्थगित करते हुए राजस्व के दृष्टिकोण से अत्यन्त महत्वपूर्ण मामलों में पूर्ण सजगता एवं सावधानी से जॉच किये जाने के निर्देश दिये जाते हैं।

4- परिपत्र संख्या 1819063 दिनॉक 14-11-2018 के प्रस्तर-3 में जी.एस.टी. के अन्तर्गत प्राप्त पंजीयन के सभी मामलों में विर्निदिष्ट अवधि के अन्दर व्यापार स्थल का भौतिक सत्यापन किये जाने के निर्देश को स्थगित करते हुए पंजीयन प्राप्त करने की तिथि से 15 दिन के अन्दर रुपया पचास लाख से अधिक मूल्य की इनवर्ड अथवा आउटवर्ड आपूर्ति के ई वे बिल जनरेट करने वाले पंजीकृत व्यक्तियों के व्यापार स्थल का भौतिक सत्यापन पंजीयन की तिथि से 20 दिन के अन्दर किये जाने के निर्देश दिये जाते हैं।

23/4/2021

(मिनिस्ती एस.)

कमिश्नर,

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

पृ0 प0 सं0 दिनॉक उक्त ।

प्रतिलिपि-

1-अपर मुख्य सचिव, राज्य कर, उत्तर प्रदेश शासन को सूचनार्थ।

2-डिप्टी कमिश्नर(आई0टी0) वा0णिज्य कर मुख्यालय लखनऊ को विभागीय वेब साइट पर सुसंगत मेन्यू पर अपलोड कराने हेतु।

(सुधा वर्मा)

एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिपत्र संख्या-स0द0/25-क/2021-22-कार्यात्मक लक्ष्य/कम्प्यूटर परि0सं0- 2122003 / 52 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(सचलदल अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 23 अप्रैल, 2021

समस्त

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि0अनु0शा0),

ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक/वि0अनु0शा0),

डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेन्ट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी,

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय:- वैश्विक महामारी कोविड-19 के दृष्टिगत निर्धारित कार्यात्मक लक्ष्यों के शिथिलीकरण के सम्बंध में।

मुख्यालय द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों से खण्ड एवं प्रवर्तन कार्यालयों में तैनात अधिकारियों का मासिक कार्यात्मक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्तमान में वैश्विक महामारी कोविड-19 की दूसरी लहर से उत्पन्न विषम परिस्थितियों के कारण निर्धारित कार्यात्मक लक्ष्यों को अग्रिम आदेशों तक निम्न प्रकार शिथिल किया जाता है:-

2- परिपत्र सं0 1920049 दिनॉक 26-08-2019 एवं 2021032 दिनॉक 03-12-2020 से सचल दल इकाईयों हेतु निर्धारित मासिक कार्यात्मक लक्ष्यों को स्थगित करते हुए जी.एस.टी., ई.वेबिल एवं कामटैक्सयूपी पोर्टल पर उपलब्ध डाटा से आसूचना आधारित (Intelligence based) प्रवर्तन कार्य पूर्ण सजगता एवं सावधानी से किये जाने के निर्देश दिये जाते हैं।

3- परिपत्र संख्या 2021015 दिनॉक 10-09-2020 के बिन्दु संख्या-3 में वि0अनु0शा0 इकाईयों हेतु निर्धारित कार्यात्मक लक्ष्य को स्थगित करते हुए राजस्व के दृष्टिकोण से अत्यन्त महत्वपूर्ण मामलों में पूर्ण सजगता एवं सावधानी से जॉच किये जाने के निर्देश दिये जाते हैं।

4- परिपत्र संख्या 1819063 दिनॉक 14-11-2018 के प्रस्तर-3 में जी.एस.टी. के अन्तर्गत प्राप्त पंजीयन के सभी मामलों में विर्निदिष्ट अवधि के अन्दर व्यापार स्थल का भौतिक सत्यापन किये जाने के निर्देश को स्थगित करते हुए पंजीयन प्राप्त करने की तिथि से 15 दिन के अन्दर रुपया पचास लाख से अधिक मूल्य की इनवर्ड अथवा आउटवर्ड आपूर्ति के ई वे बिल जनरेट करने वाले पंजीकृत व्यक्तियों के व्यापार स्थल का भौतिक सत्यापन पंजीयन की तिथि से 20 दिन के अन्दर किये जाने के निर्देश दिये जाते हैं।

(मिनिस्ती एस.)
कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

पृ0 प0 सं0 दिनॉक उक्त ।

प्रतिलिपि-

1-अपर मुख्य सचिव, राज्य कर, उत्तर प्रदेश शासन को सूचनार्थ।

2-डिप्टी कमिश्नर(आई0टी0) वा0णिज्य कर मुख्यालय लखनऊ को विभागीय वेब साइट पर सुसंगत मेन्यू पर अपलोड कराने हेतु।

23/04/2021
(सुधा वर्मा)
एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिपत्र संख्या-स0द0/25-क/2021-22-कार्यात्मक लक्ष्य/कम्प्यूटर परि0सं0- 2122003 / 52 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(सचलदल अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 23 अप्रैल, 2021

समस्त

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि0अनु0शा0),

ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक/वि0अनु0शा0),

डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेन्ट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी,

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय:- वैश्विक महामारी कोविड-19 के दृष्टिगत निर्धारित कार्यात्मक लक्ष्यों के शिथिलीकरण के सम्बंध में।

मुख्यालय द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों से खण्ड एवं प्रवर्तन कार्यालयों में तैनात अधिकारियों का मासिक कार्यात्मक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्तमान में वैश्विक महामारी कोविड-19 की दूसरी लहर से उत्पन्न विषम परिस्थितियों के कारण निर्धारित कार्यात्मक लक्ष्यों को अग्रिम आदेशों तक निम्न प्रकार शिथिल किया जाता है:-

2- परिपत्र सं0 1920049 दिनॉक 26-08-2019 एवं 2021032 दिनॉक 03-12-2020 से सचल दल इकाईयों हेतु निर्धारित मासिक कार्यात्मक लक्ष्यों को स्थगित करते हुए जी.एस.टी., ई.वेबिल एवं कामटैक्सयूपी पोर्टल पर उपलब्ध डाटा से आसूचना आधारित (Intelligence based) प्रवर्तन कार्य पूर्ण सजगता एवं सावधानी से किये जाने के निर्देश दिये जाते हैं।

3- परिपत्र संख्या 2021015 दिनॉक 10-09-2020 के बिन्दु संख्या-3 में वि0अनु0शा0 इकाईयों हेतु निर्धारित कार्यात्मक लक्ष्य को स्थगित करते हुए राजस्व के दृष्टिकोण से अत्यन्त महत्वपूर्ण मामलों में पूर्ण सजगता एवं सावधानी से जॉच किये जाने के निर्देश दिये जाते हैं।

4- परिपत्र संख्या 1819063 दिनॉक 14-11-2018 के प्रस्तर-3 में जी.एस.टी. के अन्तर्गत प्राप्त पंजीयन के सभी मामलों में विर्निदिष्ट अवधि के अन्दर व्यापार स्थल का भौतिक सत्यापन किये जाने के निर्देश को स्थगित करते हुए पंजीयन प्राप्त करने की तिथि से 15 दिन के अन्दर रुपया पचास लाख से अधिक मूल्य की इनवर्ड अथवा आउटवर्ड आपूर्ति के ई वे बिल जनरेट करने वाले पंजीकृत व्यक्तियों के व्यापार स्थल का भौतिक सत्यापन पंजीयन की तिथि से 20 दिन के अन्दर किये जाने के निर्देश दिये जाते हैं।

(मिनिस्ती एस.)
कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

पृ0 प0 सं0 दिनॉक उक्त ।

प्रतिलिपि-

1-अपर मुख्य सचिव, राज्य कर, उत्तर प्रदेश शासन को सूचनार्थ।

2-डिप्टी कमिश्नर(आई0टी0) वा0णिज्य कर मुख्यालय लखनऊ को विभागीय वेब साइट पर सुसंगत मेन्यू पर अपलोड कराने हेतु।

23/04/2021

(सुधा वर्मा)
एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।